



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1449 / अका. / सम्बद्धता / 2022

रायपुर, दिनांक : 05 / 04 / 2022

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 के अनुमोदनानुसार, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2019-20 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.वॉक. तृतीय वर्ष (New Course)	40 सीट	2019-20

शर्त :-

01. महाविद्यालय को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक 2689/210/आउशि/अ.शै.प्र./2021 दिनांक 05.08.2021 द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
06. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
10. परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)
रायपुर, दिनांक 05/04/2022

पृ. क्रमांक 1459 अका. / सम्बद्धता / 2022

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- 03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- 04 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- 05 स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- 06 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- 07 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

समिति के द्वारा प्रस्तावित है। समिति के द्वारा प्रस्तावित है। समिति के द्वारा प्रस्तावित है।

समिति के द्वारा प्रस्तावित है। समिति के द्वारा प्रस्तावित है। समिति के द्वारा प्रस्तावित है।

समिति के द्वारा प्रस्तावित है। समिति के द्वारा प्रस्तावित है। समिति के द्वारा प्रस्तावित है।

समिति के द्वारा प्रस्तावित है। समिति के द्वारा प्रस्तावित है। समिति के द्वारा प्रस्तावित है।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके नियम सन्तुष्टता चाहिए है:-

कक्षा	विषय	अपक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
B.Voc. (New Course) III Year Students admitted in Session 2019-20	Interior Design	40 Seats (allotted during Session 2017-18 by order no. 4633/Acad/Aff/2017, dt. 08-08-2017)	2021-22 (Students/ batch admitted during Session 2019-20)	<u>22</u>

क्र.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	पात्र Documents as Annexure 01
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	पात्र Documents as Annexure 02
3.	इंडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	पात्र Documents as Annexure 03
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	पात्र Documents as Annexure 04
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	पात्र Documents as Annexure 05
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता	3(xiv)	पात्र Documents as Annexure 06
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता	3(xvi)	पात्र As per Program Structure & Syllabus, the students of V & VI Sem have to undertake Project, for which Lab is not needed. Annexure 07
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	Annexure 08. As per the list, limited number of equipments are available as compared to intake. It is suggested to include equipments for construction material, electrical & lighting, plumbing & sanitation, as per Syllabus.
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	Annexure 09. For BVID course a total of 08 (eight) faculty members are appointed by the College Management. As the work load of faculty members and allotted classes is not evident from the submitted documents, hence suitability as per subject cannot be commented upon.

[Signature]

Minad
08-01-2022

[Signature]

11.	नई विद्यार्थियों के अभाव में सुविधाएं	Not satisfactory. राज
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण डा तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियाँ एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं?	Previous report was not submitted, but was shown during the visit. It is found that the suggestions have not been met.
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें Refer Annexure II, examination is pending for Batch I (admitted during Session 2017-18), Batch II for Sem III to VI (admitted in Session 2018-19), and Batch III for all semesters (admitted in 2019-20)	It is not clear whether the syllabus for BV ID is approved and formulation of Board of Studies is done.
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।	1. Laboratory facilities to be improved 2. Library needs to be updated with textbooks as per requirement in the Semester V & VI. 3. Compliance for previous inspection report to be completed. 4. Before initiating new admissions, the formalities mentioned in Annexure II must be ensured, and exam must be conducted at its earliest.

निरीक्षण समिति के
संयोजक का नाम एवं
हस्ताक्षर

Ninad
(NINAD BODHANKAR)

दिनांक 06-01-2022

प्रति,

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. DR. SANJAY TIWARI -

2.

3.

4.

...

...

...